

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा /पीएसपी सी /अ-२ /60567 /सीबीएसई एनओसी/2024-25/.....

दिनांक:

TO

विद्यालय का नाम :- **NEWTON GLOBAL SCHOOL (P69803)**

विद्यालय का वर्तमान पता :- ITAWA-BHOPJI CHOMU

रंगथा का नाम :- NEWTON EDUCATION GROUP SOCIETY

आवेदन क्रमांक :- 46291

From

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

एनओसी कोड:- RJJA133823

Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2024-25 के लिए सी बी एस सी ई/सी आई एस सी इ/सीएआई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय **NEWTON GLOBAL SCHOOL (P69803) ITAWA-BHOPJI CHOMU** को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अधीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीकृत संस्था **NEWTON EDUCATION GROUP SOCIETY** के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी विद्यालय **NEWTON GLOBAL SCHOOL (P69803)** को शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

विद्यालय का नाम -	NEWTON GLOBAL SCHOOL (P69803)
सर्वे संख्या/प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता -	ITAWA-BHOPJI CHOMU
गांव/शहर -	ITAWA BHOPJI
तहसील/कस्बा -	GOVINDGARH
मान्यता कोड -	RJJA133823
विद्यालय का पीएसपी कोड	P69803

नोट: NIC विभिन्न स्कूलों / डॉईओ (मासि.) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डॉईओ(मासि.) / निदेशालय जिम्मेदार होते हैं।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रमाण-पत्र

रवि 2024-25 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से सबूदता प्राप्त करने के लिए गता सरकार के प्रयोग प्र 14(8)शिक्षा 1/2009/गाँड़-8
दिनांक 30.03.2022 की पालना में और सरकारी विद्यालयों को उनकी नाम के सम्मुख सबूदता, कक्षा स्तर, संकाग, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सबूदता
प्राप्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. उक्त अनापति प्रमाण पत्र के बीच 2024-25 के लिए ही पालना होगा।
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान और सरकारी शिक्षक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम 2011 की पालना की जाती है।
3. विद्यालय/संस्था द्वारा राज्य/राज्यीय स्तरीय कार्यक्रम में भागीदारी निर्धारी जायेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा सम्मान प्राप्ति पर बालवाहिनी के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अक्षरका पालना की जायेगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसर में सम्मान प्राप्ति जारी दिया जाने की अक्षरता पालना की जायेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को विशुल्क प्रतेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आर्टीई प्रतेशित से किसी भी प्रकार का गुरुकरणीय लिया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (ठे स्कॉलर/बीडींग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का संचालन मान्यता प्रदान सत्र तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजगरे से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सबूदता गिरने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजगरे को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से सबूदता सत्र ही समाप्त हो जायेगी।
8. विद्यालय में अधिशमन यव स्थापित किया जाना एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाना होगा।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाइल टावर स्थापित नहीं करेगी।
10. राजस्थान विद्यालय (फीस के विविधायम) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का सम्मान-सम्मय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सम्मान-सम्मय पर विभाग एवं शासन द्वारा विशित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए ऐप्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सम्मान-सम्मय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जानी होगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमोच्चति प्राप्त कक्षा सत्र तक ही अनापति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
16. शिविरा कैटेंडर में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

नोट:- अनापति प्रमाण पत्र के सबूद में जारी शासन के प्रति दिनांक के क्रम में पदि सत्रांत स्वीकृति दी गई है तो उन शर्तों की पालना करनी अनिवार्य होगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान और सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के ठिरुदू कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

जिला	JAIPUR	ब्लॉक	GOVINDGARH
विद्यालय का नाम	NEWTON GLOBAL SCHOOL (P69803)		
सबूदता (CBSE/CISCE/CAIE)	CBSE		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र	2024-25	माध्यम	English
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Upper Primary (1-8)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Upper Primary (1-8)

नोट:- उक्त अनापति प्रमाण पत्र के सबूद में जारी शासन के प्रति दिनांक के क्रम में पदि सत्रांत स्वीकृति दी गई है तो उन शर्तों की पालना करनी अनिवार्य होगी। एन.ओ.सी. प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State Education Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled.

निदेशक

आई.ए.एस

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर



नोट: NIC विभिन्न स्कॉल / डीईओ (मांशि.)/ निदेशकालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कॉल / डीईओ(मांशि.)/ निदेशकालय जिम्मेदार होते हैं।